न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8010–पीबीआर / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–5–2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्र0क0 5(1)2015–16 / 1856

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला रायसेन म0 प्र0 .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1 आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2 उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल
3 सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन
4 जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन

.......प्रत्यर्थीगण

श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के.अग्रवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 27/9/16 को पारित )

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा 2 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन ने पत्र कमांक आब0/ठेका/2014/811 दिनांक 6–6–2014 से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि वर्ष 2012–13 में विभिन्न अवधियों में अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध के अनुसार बोतलों का संग्रह नहीं रखा गया है । उक्त पत्र के आधार पर अपीलार्थी ईकाई को कार्यालय के पत्र कमांक 5 (1)/2014–15/2176 दिनांक 5–7–2014 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी ईकाई द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया । आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 15–5–2015 को आदेश पारित कर मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम–4 का उल्लंघन पाते हुये रूपये 51,400/– शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 14–9–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करें, परन्तु नियत अवधि में उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लिखित आधारों एवं प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर किया जा रहा है ।

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना एवं समक्ष में सुनवाई किये बिना जो आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपीलार्थी इकाई द्वारा 8 प्रदाय क्षेत्र में 1,77,02,550/– प्रूफ लीटर देश मदिरा प्रदाय की गई है जो कि रिकार्ड प्रदाय है और जिससे शासन को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है, इतन ही नहीं उक्त मदिरा प्रदाय करने के उपरांत मदिरा भण्डागारों पर लगभग 5,01,555 प्रूफ लीटर का अंतिम स्कंद शेष रहा है । इसके अतिरिक्त सी.एस. 1–बी यूनिट में लगभग 2,02,557 प्रूफ लीटर का स्कंद रहा है । इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा निरन्तर मदिरा का प्रदाय किया गया है और उपरोक्त तथ्यात्मक एवं व्यवहारिक

परिस्थितियों पर बिना विचार किये आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) अपीलार्थी इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह रखने के पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं और किसी के द्वारा न्यूनतम स्कंद रखने संबंधी कोई शिकायत नहीं की गई है । अपीलार्थी इकाई द्वारा मदिरा प्रदाय की किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है और अनुमति की शर्तो का विधिवत् पालन कर कार्यवाही की गई है, जिससे शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी ईकाई पर अधिरोपित शास्ति रुपये 51,400 / – निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया । इसलिये प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः ऐसी स्थिति में शास्ति अधिरोपित करने का जो आदेश अधीनस्थ आबकारी आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है ।

4 / प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध संग्रह कम रखा गया है, जिस कारण शासन को हानि हुई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी ईकाई पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये आबकारी आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5 / उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभाण्डागार में बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है । अतः स्पष्टतः जहाँ अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तो का उल्लघंन किया गया है वहीं म0प्र0देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लघंन किया गया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह

रखे जाने का प्रावधान है । जहॉ नियम 4(4) का उल्लघंन है वहॉ नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में जहॉ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण कमांक 8011–पीबीआर / 15, 8012–पीबीआर / 15, 8013–पीबीआर / 15, 8014–पीबीआर / 15 एवं 95–पीबीआर / 15 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर